

पत्रावली सं० 11/2021 सरकार बनाम ट.शन कुमार

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
08/02/2021	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री <u>ट.शन कुमार</u></p> <p>पुत्र श्री <u>सोहन लाल</u> जाति <u>ब्राह्मण</u></p> <p>निवासी <u>9 L Pm-B</u> में फसल <u>रबी/खरीफ</u></p> <p>संवत्/सन् <u>2077</u> में गांव/चक नं० <u>9 L Pm B</u></p> <p>के भू नं० <u>17</u> में <u>1.265</u> बीघा</p> <p>सिंचित व <u>1.443</u> अंसिंचित कुल <u>2.708</u> बीघा</p> <p>बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वह राजकीय भूमि पर अवैध कारत करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जमा करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की <u>50 गोन</u></p> <p>गुणा पेनल्टी राशि रु० <u>1083</u> अखरे रु० <u>1083</u> (निर्णय) <u>रूप में मात्र</u></p> <p>अभिशोषित की जाती है।</p> <p>भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्ध फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग कायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p>	

वर्ष 2020-2021 पत्रावली सं० 1083

उप तहसीलदार  
तहसीलदार (पंचजस्य)  
जिला मजिस्ट्रेट  
रायसिंहनगर

*Deu*